



प्रारम्भ - को

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रायपुर (छ.ग.)



website-www.deoraipur.com, Email-deoraipurict@gmail.com Phone No. -0771-4270028

संक्रमांक/साक्षरता नवीनीकरण/2023-24/186
प्रति

रायपुर, दिनांक 05/01/2024

प्रबंधक/अध्यक्ष,

जय नारायण हरिसाग गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट न्यू टिम्बर मार्केट पाटीदार भवन के सामने फाफाडीह
रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

एन.एच.गोयल नरदहा नियर विद्यालयसभा मार्ग (CBSE)

वि.खं.-आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

विषय - निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निशुल्क और
अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (5) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

--- 00 ---

संबंधित/संबंधित,

आपके आवेदन पत्र की दिनांक-20.11.2023 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ परभावती
पञ्चाधार/निरीक्षण उपरांत मैं एन.एच.गोयल नरदहा नियर विद्यालयसभा मार्ग वि.खं. आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.) को
शिक्षा सत्र- 2024-25 से 2026-27 हेतु 03 वर्ष की अवधि के लिए कक्षा-प्री प्राथमरी एवं 01वीं से 12वीं CBSE
(भाष्यम-अंग्रेजी, गैर अनुदान मान्यता प्राप्त शाळा) तक के लिए अंतिम मान्यता नवीनीकरण प्रदान करने की संसूचना देता
हूँ।

उपरोक्त स्वोच्छृति निम्नलिखित शर्तों के मुताबिक ज्ञाने को अंगगीत है -

- मान्यता की स्वोच्छृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के परभावत मान्यता/संबंधता करने के लिए कोई मान्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट-एक) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय, कक्षा एक में (या कक्षा शिक्षित नवरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या को 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमखोर बच्चों और सुकिया-विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसकी पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सांसायकी/विद्यालय किसी भी बच्चे को समारण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसको माता-पिता या संरक्षक को किसी सुविधि प्रक्रिया के अंगगीत नहीं करेगा।
- विद्यालय, किसी बच्चे को उत्तमी आयु का सतु न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा -
- प्रवेश दिया गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया या उसे विद्यालय से निकालित नहीं किया जायेगा।
- किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उपरोधन के अंगगीत नहीं किया जायेगा।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान जायेगा।
- अधिनियम के उपबन्धों में के अनुसार निम्नलिखित/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
- अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं 05 वर्ष की अवधि के ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेगे।
- अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट ज्ञाने कर्तव्यों का पालन करेगे।

ATTESTED

Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

- (अ) अत्याधिक स्वयं को मिली निजी अत्यापन क्रियाकलापों में निर्बंधित नहीं करेंगे।
- (बी) भारत की राष्ट्रीय भवन विद्यालय - 01 अर्थात् विभिन्न संविधानों के अनुसार अंतिम सुधार की व्यवस्था स्थापित हो।
- (2) प्रतिवर्ष बजट से अग्रिम की जाने वाली कीमतें एसी शैली में अधिनियम की अंतर्गत आगुला, राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा संबंधित सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्दिष्ट की जाए तथा इसकी सूचना संबंधित सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को दी जाए।
7. विद्यालय समुचित अधिकारी द्वारा अधिनियम प्रवर्धनों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम का पालन करेंगे।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 18 में व्यवस्थित विद्यालय के मान्यता और संविधानों को अन्तर्गत रखकर अंतिम निरीक्षण के संबंध रिपोर्ट की गई प्रतिलिपि निम्नानुसार है -
 विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल - 242811.38 वर्ग मीटर, कुल निर्मित का क्षेत्र - 32997 वर्ग मीटर
 खेल का मैदान का क्षेत्रफल - 1209 वर्ग मीटर, कक्षाओं की संख्या - 73, प्रशासनिक कमरा संख्या - 01
 कक्षाओं और कक्षाओं के लिए पूरक संख्या - पूरक पूरक है, परिसर सुरक्षा - है
 अध्यापन पढ़ाने वाली/बोर्ड अध्यापक/अध्यापिका/पुस्तकालय की उपस्थिति - है
9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई भी मान्यता प्राप्त कक्षा नहीं चलाई जाएगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं का उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
11. विद्यालय को सहायता संबंधित अधिनियम 1980 (1980 का 21) के अंतर्गत परिष्कृत किसी सहायता द्वारा या अलग-अलग प्रदात किसी विधि के अंतर्गत कौशल विकास लोकायुक्त द्वारा चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय को किसी वैश्विक, वैश्विक समूह या सत्र या किसी अन्य व्यक्तियों के नाम के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालयों के अंतर्गत की किसी आईई एडवेंटेज द्वारा समर्थित की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है और उचित सेवा विवरण, निगमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। अत्यंत उच्च शिक्षण की एक प्रति अत्यंत उच्च शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. अपरंत विद्यालय का आईई कोड - 22112220912 है। कक्षा इस कोड के तहत और इस आधार पर सत्र किसी भी सत्र के लिए हुए संस्थाओं का उल्लेख करे।
15. विद्यालय एसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिकांश हो और राज्य सरकार/स्थानीय अधिकारियों के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो अंतर्गत सहायता संबंधी सत्रों के अंतर्गत अनुपालन को सुनिश्चित करने का विद्यालय के कार्यकरण की क्रिया को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
16. सहायता के अधिनियमों के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. सहायता अधिनियमों के अनुसार अन्य चर्चे हों।
- (1) क्या आरंभ तक नि:शुल्क और अधिभार वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (ख) एवं क्या नवमी से आरंभ तक छात्रों/सहायक शिक्षा सहित अग्रिम 13 नियम 125 में उल्लिखित शुल्क मांगे जायें।
- (2) सहायता प्रमाण-पत्र (टीसी) में मान्यता का अभाव एवं दिनांक अधिभार रूप से अंकित किया जावे।
- (3) शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत नि:शुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, सहायता एवं लेखन सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा Writ (MIL) 52/2017 में प्रदत्त निर्णय अनुसार किसी विद्यालयों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, सहायता एवं लेखन सामग्री के अभाव में सत्र का शुल्क नहीं किया जाए बल्कि उन्हें पाठ्यपुस्तक, सहायता एवं लेखन सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाए।
18. मान्यता अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत नवीनीकरण के अन्तर्गत रहेगी।
19. विद्यालय यदि नहीं चलाना हो तो विद्यालय बंद करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं नोडल प्राचार्य को 06 माह पूर्व अधिसूचना प्रस्तुत करें।
20. विद्यालय बंद करने हेतु आवेदन नहीं देने की शर्तों में सहायता प्रबंधन/अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य को विरह्य कार्यवाही की जायेगी।
21. छात्रों/सहायक शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्रमांक एए-13-19-20-03-2012 रायपुर, दिनांक 12.04.2012 एवं आदेश क्रमांक 2887/2016/20-3 रायपुर, दिनांक 22/04/2016 अनुसार शिक्षा के अंतर्गत के रूप में नहीं बल्कि सहायक शिक्षा के अंतर्गत "न लाभ न हानि" के सिद्धांत पर सहायता संचालन किया जायें।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 रायपुर (अ.ग.)
 रायपुर, दिनांक 05/07/2024

पृष्ठा क्रमांक/मान्यता नवीनीकरण/2023-24/187
 प्रतिलिपि -

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छात्रों/सहायक रायपुर को सूचनाएं।
2. जिला शिक्षा सचिव, जिला परियोजना कार्यालय, जिला शिक्षा निदेशक, रायपुर को सूचनाएं।
3. निदेशक, शिक्षा अधिकारी, रायपुर, जिला रायपुर से ग. को सूचनाएं।
4. प्राचार्य/नोडल, अधिकांश सहायक शिक्षा विभाग, जिला रायपुर से ग. को सूचनाएं।

ATTESTED

 Principal
 N. H. Goel World School
 Nardaha, Raipur (C.G.)


 जिला शिक्षा अधिकारी
 रायपुर (अ.ग.)



प्रारूप - तीन

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रायपुर (छ.ग.)



जयसिंह नगर

website-www.deoraipur.com, Email-deoraipurict@gmail.com, rmsaraipur@gmail.com
Phone No. - 0771-4002693

क्रमांक / मान्यता / नवीनीकरण / 2020 / 5483

रायपुर, दिनांक 25/11/2020

प्रति,

प्रबंधक / अध्यक्ष,

जय नारायण हरिशम गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट न्यू टिम्बर मार्केट पाटीदार भवन के सामने फाफाडीह
रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

एन.एच.गोयल नरदहा नेयर विद्यान सभा विद्यानसभा मार्ग वि.खं.आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (5) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

—00—

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 23.11.2020 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरोक्षण उपरांत मैं एन.एच.गोयल नरदहा नियर विद्यान सभा विद्यानसभा मार्ग वि.खं.आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.) (माध्यम-अंग्रेजी) (विद्यालय का नाम पता सहित) को शिक्षा सत्र 2021-22 से 2022-2024 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री-प्रायमरी एवं कक्षा पहली से आठवी तक के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है :-

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/संबंधता करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2012 (परिशिष्ट-दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्वीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
(एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
(पांच) अधिनियम के उपबन्धों च के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
(छ) अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।
(सात) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

ATTESTED

कृपया पृष्ठ पलटिये

Principal

N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

- (आठ) अध्यापक, स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- (नौ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्निधियों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।
- (दस) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभावित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए।


- 7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8. विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्निधियों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	-
कुल निर्मित का क्षेत्र	-
खेल के मैदान का क्षेत्रफल	-
कक्षाओं की संख्या	-
प्रधानपाठक-सह-कार्यालय-सह भण्डार के लिए कक्ष	-
बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	-
पेयजल सुविधा	-
मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई	-
बाधारहित पहुँच	-

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद के उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता -

- 9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
- 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
- 11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सनपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा-विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक नवीनीकरण 2020-..... डाईस कोड..... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
- 16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- (1) कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (ख) एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा।
- (2) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये।
- 18. मान्यता, अधिनियम की धारा 18 के अधीन नवीनीकरण के अधधीन रहेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी


 जिला शिक्षा अधिकारी
 रायपुर (छत्तीसगढ़)
 रायपुर, दिनांक : 25/11/2020

पृष्ठांक/मान्यता/नवीनीकरण/2020/5484
प्रतिलिपि :-

- 1. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी आरंग जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
- 2. प्राचार्य/नोडल, अधिकारी शास.उ.मा.वि. जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी


ATTESTED

 27/11/20

जिला शिक्षा-अधिकारी
 रायपुर (छत्तीसगढ़)

जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर, छ.ग.



:: प्रमाण-पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है, कि - जय नारायण हरिराम गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट न्यू टिम्बर मार्केट पाटीदार भवन के सामने फाफाडीह रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक 1418, दिनांक 13.05.2009 द्वारा संचालित शाला नाम एन.एच. गोयल नरदहा नियर विधानसभा मार्ग वि.ख. आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.) को कक्षा नवमीं से बारहवी तक नवीनीकरण विभागीय मान्यता (माध्यम-अंग्रेजी) पंजी अनुक्रमांक5483.....दिनांक 25/11/20 पर वर्ष 2021-22 से 2023-2024 (03 वर्ष) की अवधि के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

टीप:-

- (1) कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18,19 एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छ.ग. शिक्षा संहिता 10 नियम 125 में उल्लेखित मदों में शुल्क मान्य होगा।
- (2) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
- (3) छ.ग. माध्यामिक शिक्षा मण्डल के मान्यता नियम के शर्तों के पालन पश्चात ही अनुमति दी जावेगी।

डाईस कोड :-

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

ATTESTED

Principal
N. H. Chelwani School
Nardana, Raipur (C.G.)

जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर, छ.ग.



:: प्रमाण-पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है, कि- जय नारायण हरिराम गोयल टेबल ट्रस्ट न्यू टिम्बर मार्केट पाटीदार भवन के सामने फाफाडीह रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) पंजी.क्रमांक 1418, दिनांक 13.05.2009 द्वारा संचालित शाला नाम एन.एच गोयल नरदहा नेयर विद्यानसभा, रायपुर (छ.ग.) को कक्षा नवमीं एवं बारहवीं (माध्यम-अंग्रेजी) तक नवीननीकरण मान्यता पंजी अनुक्रमांक 663 दिनांक 28-01-2017 पर दिनांक 2017-18 से 2020-21 तक 05 वर्षों की अवधि के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

टी.सी.-

- (1) कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18,19 एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छ.ग. शिक्षा संहिता 10 नियम 125 में उल्लेखित मदों में शुल्क मान्य होगा।
- (2) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
- (3) छ.ग. माध्यामिक शिक्षा मण्डल के मान्यता नियम के शर्तों के पालन पश्चात ही अनुमति दी जावेगी।

डाईस कोड :-

ATTESTED

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

Nardaha, Raipur (C.G.)



प्रारूप - तीन

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ शासन

website-www.deoraipur.com, Email-deoraipurict@gmail.com, rmsaraipur@gmail.com

Phone No. - 0771-4002693

मा/मान्यता/नवीनी./...../2017/683

रायपुर, दिनांक : 22/1/2017

प्रबंधक/अध्यक्ष,

जय नारायण हरिराम गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट न्यू टिम्बर मार्केट पाटीदार भवन के सामने फाफाडीह
रायपुर, जिला-रायपुर(छ.ग.)

एन.एच गोयल नरदहा नेयर विद्यानसभा ,रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)(माध्यम-अंग्रेजी)

- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (5) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

—00—

मा/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 22-12-2016 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती प्रमाण/निरीक्षण उपरांत मैं एन.एच गोयल नरदहा नेयर विद्यानसभा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) (माध्यम-अंग्रेजी) (विद्यालय का नाम पता सहित) का तारीख 2017-2018 से 2020-21 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी एवं पहली से आठवीं तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है :-

मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/संबंधता करने के लिए कोई बाध्यता विद्यमान नहीं है।

विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2012 (परिशिष्ट-दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।

विद्यालय, कक्षा एक में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्ण प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

पैरा-3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

सोसायटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।

विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-

(एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।

(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 26 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(पांच) अधिनियम के उपबन्धों च के अनुसार निःशुल्क/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(छ) अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

(सात) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

कृपया पृष्ठ पलटिये

- (आठ) अध्यापक, स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
 (नौ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।
 (दस) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए।

विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	-
कुल निर्मित का क्षेत्र	-
खेल के मैदान का क्षेत्रफल	-
कक्षाओं की संख्या	-
प्रधानपाठक-सह-कार्यालय-सह भण्डार के लिए कक्षा	-
बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	-
पेयजल सुविधा	-
मध्याह्न भोजन प्रकाने हेतु रसोई	-
बाधारहित पहुंच	-

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद के उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता -

विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी। विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाम के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक नवीनीकरण 2017-..... डाईस कोड..... है।

कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।


सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

1) कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (ख) एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा।

2) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

3) मान्यता, अधिनियम की धारा 18 के अधीन नवीनीकरण के अधधीन रहेगी।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 रायपुर (छत्तीसगढ़)


रायपुर, दिनांक : / / 2017

क्रमांक/मान्यता/नवीन/...../2017/

सूचना :-

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अमनपुर/आरंग/तिल्दा, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।

प्राचार्य/नोडल, अधिकारी शास.उ.मा.वि. जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 रायपुर (छत्तीसगढ़)


 30/1/17



जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर (छ.ग.)
(जिला/राज्य का नाम)

कार्यालय दूरगाव : 0771-2427717, फ़ैक्स : 0771-2439899

झाप कं./मान्यता/नवीनीकरण/2011/ 5209
प्रति,

/दिनांक : 09/08/2011

प्रबंधक/अध्यक्ष,

अमनारामन हरिशंभु गोमल चेरींग्डाल रायपुर
रुम्न.रुम्न. गोमल उच्छा.वि.नरदहा

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।



महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 30.06.2011 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरांत मैं रुम्न.रुम्न. गोमल 30मी. विद्यालय विद्यालय का नाम पता सहित का तारीख 2011 से 2014 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए, कक्षा 11वीं से 12वीं तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है :-

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
 2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
 3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
 4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
 5. सोसायटी/विद्यालय, किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन करेगा।
- विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
(एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी (प्रारंभिक) शिक्षा पूरी होने

ATTESTED

Principal

V. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

तक, किसी कक्षा में केल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कारित नहीं किया जायेगा।

(को) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।

(तीस) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

(पांच) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(छ) अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक शिक्षक पास इन अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

(सात) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करना और

(आठ) अध्यापक, स्वयं को किसी निजी अध्यापन किरायेकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेंगे।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित का क्षेत्र

खेल के मैदान का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्रधानपाठक-सह-कार्यालय-सह-भण्डार के लिए कक्ष

बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पंचजन सुविधा

मध्याह्न भोजन प्रकामे हेतु रसोई

बाधारहित पहुँच

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूद के उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और व्यापार विद्यार्थियों के उपयोग के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी निकायों द्वारा चलाया जा रहा है।

12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

ATTESTED

N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **HS-2-07** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक को उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सौसाधनी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. सलमन परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

टीप :- स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) में मान्यता का कमांक एवं दिनोंक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।


पृष्ठों का / मान्यता / नवीनीकरण / 2011 / 5210
प्रतिलिपि :-

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ... आरंग को सूचनाार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)
/रायपुर, दिनोंक 07/08/2011


जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

ATTESTED


Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

जिला शिक्षा अधिकारी



प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2009-10 से

पंजीयन क्रमांक 290/18-10-2006 द्वारा संचालित


शाला नाम एन. एन. गोयल वर्ल्ड स्कूल, नरदाहा, रायपुर

को कक्षा पहली से पाँचवीं/आठवीं/दसवीं/बाराहवीं तक संचालन हेतु विभागीय मान्यता प्रदान कर अनुक्रमांक 1418 (अंग्रेजी माध्यम) पर

दिनांक 13-05-2009 को पंजीकृत किया गया है।


जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.प्र.)

ATTESTED


Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

जिला शिक्षा अधिकारी



प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2008-09
पंजीयन क्रमांक 290/18-10-2006 द्वारा संचालित
शाला नाम एन.एच.गोएल वर्ल्ड स्कूल, नरदाहा
को कक्षा पहली से पाँचवीं/आठवीं/दसवीं/बारहवीं तक संचालन हेतु विभागीय
माव्यता प्रदान कर अनुक्रमांक 1301 पर
दिनांक 30-05-2008 को पंजीकृत किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी

रायपुर (छ.ग.)

ATTESTED



Principal
Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)